

राजस्थान विधान सभा

प्रथम सत्र

कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक 23 जनवरी, 2019

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) प्रतिवेदन

श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, भारत के नियंत्रक - महालेखा परीक्षक के वित्त-लेखे (खण्ड-I एवं II) वर्ष 2017-2018 एवं विनियोग लेखे वर्ष 2017-2018 सदन की मेज पर रखेंगे ।

(ख) अधिसूचनायें

श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

वित्त विभाग

1. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-पार्ट-II-95 दिनांक 9.9.2018 जिसके द्वारा पेट्रोल तथा डीजल की वैट दरों में कमी से संबंधित वैट शिड्यूल-VI में संशोधन किया गया है ;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.12(24)वित्त/कर/2018-109 दिनांक 10.9.2018 जिसके द्वारा मैसर्स नितिन स्पिनर्स लिमिटेड को विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की गई है ;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-110 दिनांक 10.9.2018 जिसके द्वारा 1.50 करोड़ रुपये तक सकल पण्यावर्त वाले करदाताओं को त्रैमासिक फॉर्म जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने के लिये तिथि निर्धारित की गई है ;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-111 दिनांक 10.9.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है ;
5. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-112 दिनांक 13.9.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है ;
6. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-113 दिनांक 13.9.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 (टीडीएस से संबंधित प्रावधान) को दिनांक 01.10.2018 से प्रभावी किया गया है ;

7. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-114 दिनांक 13.9.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 52 (टीसीएस से संबंधित प्रावधान) को दिनांक 01.10.2018 से प्रभावी किया गया है ;
8. अधिसूचना संख्या: एफ.2(6)वित्त/कर/2014पार्ट-115 दिनांक 14.9.2018 जिसके द्वारा स्टाम्प ड्यूटी के संबंध में विशेष राहत योजना लागू की गई है ;
9. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-II-116 दिनांक 20.9.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-I-50 दिनांक 29.6.2017 में संशोधन किया गया है ;
10. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-II-117 दिनांक 20.9.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 52 (1) के अन्तर्गत प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा संग्रहित टीसीएस की दर निर्धारित की गई है ;
11. अधिसूचना संख्या: एफ.2(17)वित्त/कर/2010पार्ट-118 दिनांक 25.9.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(17)वित्त/कर/2010-73 दिनांक 4.10.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
12. अधिसूचना संख्या: एफ.2(17)वित्त/कर/2010/पार्ट-119 दिनांक 25.9.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(17)वित्त/कर/2010-74 दिनांक 4.10.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
13. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-122 दिनांक 16.10.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है ;
14. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-123 दिनांक 16.10.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है ;
15. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-II-124 दिनांक 23.10.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-II-86 दिनांक 15.9.2017 के अधिक्रमण में तथा अनौपचारिक कराधीन व्यक्तियों, जिनको कि पंजीकरण करने से छूट प्रदान की जाएगी, की श्रेणी स्पष्ट की गई है ;
16. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-125 दिनांक 23.10.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-113 दिनांक 13.9.2018 में संशोधन किया गया है ;
17. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-126 दिनांक 26.10.2018 जिसके द्वारा दिनांक 30.9.2018 को या उससे पहले जिनका पंजीकरण रद्द किया जा चुका है, उस श्रेणी के व्यक्तियों के लिये फॉर्म जीएसटीआर-10 में अन्तिम रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि निर्धारित की गई है ;

18. अधिसूचना संख्या:एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-II-127 दिनांक 30.10.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है ;
19. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-III-128 दिनांक 5.11.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-113 दिनांक 13.9.2018 में संशोधन किया गया है ;
20. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-III-129 दिनांक 15.11.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-II-127 दिनांक 30.10.2018 के संबंध में शुद्धि पत्र जारी कर संशोधन किया गया है ;
21. अधिसूचना संख्या: एफ.2(17)वित्त/कर/2010/पार्ट-130 दिनांक 13.12.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(17)वित्त/कर/2010-73 दिनांक 4.10.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
22. अधिसूचना संख्या: एफ.2(17)वित्त/कर/2010पार्ट-131 दिनांक 13.12.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(17)वित्त/कर/2010-74 दिनांक 4.10.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
23. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-III-132 दिनांक 13.12.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर (समस्याओं का समाधान) आदेश, 2018 विरचित किये गये है ;
24. अधिसूचना संख्या:एफ.2(32)वित्त/कर/2013-133 दिनांक 14.12.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(32)वित्त/कर/2013-21 दिनांक 31.5.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
25. अधिसूचना संख्या:एफ.2(32)वित्त/कर/2013-134 दिनांक 14.12.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(32)वित्त/कर/2013-22 दिनांक 31.5.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
26. अधिसूचना संख्या:एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-135 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-I-40 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
27. अधिसूचना संख्या:एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-136 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-I-41 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
28. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-137 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-11(1) के अन्तर्गत स्वर्ण आभूषणों के निर्यातकों को मनोनीत एजेंसियों द्वारा स्वर्ण की आपूर्ति के संबंध में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;

29. अधिसूचना संख्या:एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-138 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर /2017पार्ट-I-49 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
30. अधिसूचना संख्या:एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-139 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर /2017पार्ट-I-50 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
31. अधिसूचना संख्या:एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-140 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर /2017पार्ट-I-51 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
32. अधिसूचना संख्या:एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-III-141 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर /2017पार्ट-I-49 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
33. अधिसूचना संख्या:एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-142 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर /2017पार्ट-III-84 दिनांक 6.8.2018 में संशोधन किया गया है ;
34. अधिसूचना संख्या:एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-143 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर /2017पार्ट-IV-110 दिनांक 10.9.2018 में संशोधन किया गया है ;
35. अधिसूचना संख्या:एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-144 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर /2017पार्ट-V-113 दिनांक 13.9.2018 में संशोधन किया गया है ;
36. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-145 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है ;
37. अधिसूचना संख्या:एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-146 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर /2017पार्ट-IV-159 दिनांक 23.1.2018 में संशोधन किया गया है ;
38. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-147 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-128 के अन्तर्गत किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माह जुलाई, 2017 की फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहने पर देय विलम्ब शुल्क की राशि को माफ किया गया है ;
39. अधिसूचना संख्या:एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-148 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर /2017पार्ट-III-153 दिनांक 29.12.2017 में संशोधन किया गया है ;

40. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-149 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-16(4) के अन्तर्गत आगत कर के दावे से संबंधित आदेश जारी किये गये हैं ;
41. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-150 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-44(1) के अन्तर्गत वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने संबंधी आदेश जारी किये गये हैं ;
42. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-151 दिनांक 31.12.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-52(4) के अन्तर्गत संचालक द्वारा विवरण प्रस्तुत करने संबंधी आदेश जारी किये गये हैं ; एवं
43. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-II-152 दिनांक 15.1.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-II-122 दिनांक 18.10.2017 में संशोधन किया गया है।

3. विधायी कार्य

पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019

- (I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन)
विधेयक, 2019
(2019 का विधेयक संख्या-4)

"राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

4. वित्तीय कार्य

अतिरेक मांगे वर्ष 2015-2016 एवं 2016-2017 का उपस्थापन

श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, वर्ष 2015-2016 एवं 2016-2017 के लिये अतिरेक मांगों का उपस्थापन करेंगे ।

5. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रोत्तर वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की आर से उत्तर

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (विभाजन संख्या-121), सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 2019 को प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव पर अग्रोत्तर वाद-विवाद होगा एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया जाएगा :-

"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।"

**दिनेश कुमार जैन
सचिव**

**विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 22 जनवरी, 2019**